

अज अदालत.....

मुकाम.....

मगराज

बनाम.....

दल देवी वर्मा

किस्म मुकदमा 270 शक्रे 111,120 RCRAC नं. 238/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/07/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री युनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,120 RCRAC राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/08/19 को पेश हो।	
26/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विजयीगिणों के नोटिस तामिल श्रुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विजयीगिण वाकडु तामिल अनुपस्थित। सीमान्त पीछानी अधिकारी दिगर दिगर प्रार्थी के प्यारने होने से मिशाल इल्लवा डेडा इलाकामी दिनांक 04/11/2019 को पेश हो।	
04/11/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विजयीगिण वाकडु तामिल अनुपस्थित। सीमान्त पीछानी अधिकारी दिगर प्रार्थी के प्यारने होने से मिशाल इल्लवा डेडा इलाकामी दिनांक 12/12/19 को पेश हो।	
12/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विजयीगिण वाकडु तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय लेन बाए आवाज लगाई गई। मंजिल आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विजयीगिण टवमें मा उनही प्रॉ ले डेडा अधिकार उपस्थित नहीं हुआ। मिशाल उनके विरुद्ध एडवोकेट प्रार्थनी माल के हार्ड	

जानी है। प्राची के अधिवक्ता की एडवोकेट वरम
 सुनी गई प्राची के अधिवक्ता द्वारा बताया है प्राची
 व विप्रायगिणी के व्यावहारिक व्यवस्था सेठ मंगे
 हुए हैं। प्राची व विप्रायगिणी के व्योती के मध्य पुरानी
 माठ व डगे साथे हुए थे जो वर्तमान में प्राचीमा
 की वजह से विचार गये हैं। व्यवस्था होने पर व्योती के
 लेहो को लेकर प्राची व विप्रायगिणी के मध्य तनाजा बना
 रहता है। जिस कारण प्राची की अपने व्यावहारिक व्योती
 की पक्की नैयमबन्दी डवाना कावश्यक है। जिसमें लह
 सीलर सम्मिल रहें। इसलिए प्राची द्वारा उद्भूत नैयम
 बन्दी कावेडन स्वीकार किया जाडर नैयमबन्दी कावेडन
 किया जावे।

शतः प्राची अधिवक्ता के निवेदन पर
 प्राची का नैयमबन्दी कावेडन स्वीकार किया जाडर
 लहसीलर गिडर को डमिशन व सम्बन्धित भू अधि-
 लेष निरिहड को सहायक डमिशन निधुक्त किया
 जाडर कावेडन किया जाता है कि प्राय स्वयं या
 अपने अधिनस्थ किसी भी भू अधिलेख निरिहड से
 प्राची के व्यावहारिक व्योती की पक्की नैयमबन्दी मोडे पर
 डमिशन सुलड जमाडरडर डरें। पालना रिपोर्ट जल
 होने पर शामिल पजावली डी। पजावली फंसल कुमार
 होडर डरज नम्बर से डम डी। प्राविल दफतर डी।

विशुधाल

17.12.2015



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 1008

दिनांक:- 17/12/19

प्रार्थीगण

वनाम

विप्रार्थीगण

1. मगराज पुत्र मुलाराम वगैरा जाति ब्राह्मण
निवासी लेगो की ढाणी तहसील गिड़ा
जिला बाड़मेर

1. दलू देवी पत्नी रूपाराम वगैरा निवासी लेगो
की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लेगो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 3, 10, 12, 13 रकबा क्रमशः 00.09, 21.00.06, 00.05, 78.06, 00.10 बीघा पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।



क्रमांक/वाद/2019/ 1009-13

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 17/12/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मगराज वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री दलू देवी वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
17.12.2019